कार्यालय आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई–मेल : dme12001@yahoo.com वेबसाईटः www.medicaleducation.mp.gov. in

दिनांक– 21.07.2025

//महत्वपूर्ण सूचना//

शासकीय स्वशासी एवं निजी चिकित्सा/स्वशासी दंत एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025–26 में एमबीबीएस/बीडीएस स्नातक पाठयक्रमों में प्रवेश संबंधी सूचना

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2025 में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने Credentials जैसे रजिस्टर्ड मोबाईल नबंर, ईमल आई0डी0, रोल नबंर, नीट एप्लीकेशन नबंर, बैंक डिटेल इत्यादि किसी भी अन्य व्यक्ति और क्योस्क आदि से साझा न करें जिससे अभ्यर्थी संभावित धोखाधड़ी से बच सकें। प्रवेश संबंधी धोखाधड़ी से बचने के लिये यह भी सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी किसी भी दलाल, काउंसलर के झांसे में न आयें। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीट आवंटन की प्रक्रिया काउंसिलिंग अथॉरिटी द्वारा पूर्णतः आनलाईन एवं पारदर्शिता पूर्वक की जाती है । सीट आवंटन का आधार केवल और केवल अभ्यर्थी द्वारा काउंसिलिंग के समय भरी गई च्वाईस फिलिंग एवं उसकी नीट मेरिट है। अतः पुनः समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे तथाकथित काउंसलर एवं दलालों द्वारा दी जाने वाली भ्रांमक जानकारी पर विश्वास करने से बचें। काउंसिलिंग हेतु प्रोफाईल बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वयं का रजिस्टर्ड मोबाईल नबंर, ईमल आईडी तथा बैंक डिटेल की प्रविष्टि (Entry) करें क्यूंकि काउंसिलिंग के दौरान समस्त ओ0टी0पी0 दर्ज किये गये मोबाईल नबंर एवं ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं काउंसिलिंग उपरान्त रिफण्ड की स्थिति में राशि आपके द्वारा दर्ज की गई बैंक डिटेल में वापस की जा जाती है।

21/7/25

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

21/07/25